

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

प्रा.पत्र / 97 / 2017

पंजाब नेशनल बैंक सर्किल आफिस भरतपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

....प्रार्थी

बनाम

- 1- श्री कयूम खॉ पुत्र श्री अकबर खॉ, पता नगर बस स्टेण्ड के पास जिला भरतपुर  
.....ऋणी बंधककर्ता
- 2-श्री निजामुददीन खॉ पुत्र श्री अकबर खॉ, पता नगर बस स्टेण्ड के पास जिला भरतपुर  
.....जमानती व बंधककर्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्वोरिटार्डिजेशन एण्ड रीकनस्ट्रेशन ऑफ  
फाइनान्सियल एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002

आदेश

दिनांक 26.12.2017

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी0 ऋणी से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने प्रार्थी से 6,00,000/- रुपये की दिनांक 5.1.2010 को ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी ने सम्पत्ति जो नगर बस स्टेण्ड के पास जिला भरतपुर स्थित है जिसमें भूमि भवन ढांचा आदि जो भी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसकी माप लगभग 21 वर्ग गज है। जिसके हद्द अरबा हैं इस प्रकार हैं :- पूर्व में -लच्छी तैली की दुकान, पश्चिम में खाली भूमि, उत्तर में- सड़क, दक्षिण में - लच्छी तैली का प्लॉट जो नगर बस स्टेण्ड के पास जिला भरतपुर पर स्थित है को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी0 के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 31.12.2016 को एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 31-12-2016 तक 523404.80/- रुपये ब्याज एवं अन्य खर्च अप्रार्थी0 पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 21-01-2017 को अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

.....2

(2)

प्रा पत्र / 97 / 2017 पी.  
एन.बी. भरतपुर बनाम कयूम खॉ वगो.

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी / ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा- 13(2) का नोटिस दिनांक 21-01-2017 अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बावजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया / ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बंधक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी सम्पत्ति जो नगर बस स्टेण्ड के पास जिला भरतपुर स्थित है जिसमें भूमि भवन ढांचा आदि जो भी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसकी माप लगभग 21 वर्ग गज है। जिसके हदूद अरबा हैं इस प्रकार हैं :- पूर्व में -लच्छी तैली की दूकान, पश्चिम में खाली भूमि, उत्तर में -सड़क, दक्षिण में - लच्छी तैली का प्लॉट जो नगर बस स्टेण्ड के पास जिला भरतपुर राजस्थान में स्थित है को अप्रार्थी ने प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था, उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उक्तकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

( डॉ.एन.के.गुप्ता )

जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर  
भरतपुर